

20/7/15

पत्रावली का लोकरिडाल
 केम कोर्ट गुड़ामालानी येथे है।
 वारी वहील उपस्थित पत्रावली का
 अवलोकन किया गया। तपके कागज में
 जानकारी ली गई। विपरीतगण विवादित
 भूमि के सह खातेदार होने तपके कागज
 से प्राप्त जानकारी एवं पत्रावली से प्राप्त
 तथ्यों के आधार पर इस न्यायालय द्वारा
 जारी स्थगन आदेश दिनांक 30-1-14
 को कोरे कोरे चलाया उचित नहीं
 होता है। अतः पत्रों का पारिभा
 पत्र अस्वीकार किया जाकर इस
 न्यायालय द्वारा जारी स्थगन
 आदेश दिनांक 30-1-14 को खारिज
 किया जाता है।

पत्रावली के लिये शुभानुमेय
 दफतर हरे।

[Signature]
 20/7/15

सहायक कलक्टर
 SDO (गुड़ामालानी)